न्यायालय, कनीय न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर
विभाजन वाद–12/2017

राम दयाल महतो....................................वादी

बनाम्

उपेन्द्र महतो एवं अन्य.............................प्रतिवादीगण

आदेश

30.09.2024 अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–02.09.2024, अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी अनुपस्थित है।

वादी ने अपने आवेदन में निवेदन किया है कि वादी अनपढ़ एवं जानकारी के अभाव में वादपत्र के मद सं0–2 में कुछ जमीन शामिल नहीं किया जा सका है। वादपत्र के मद सं0–2 में रिविजनल सर्वे खाता 218, 219, 221 एवं 490 की जमीन को शामिल किया जाना जरूरी है। चूँकि यह वाद विभाजन का है इसीलिए उक्त भूमि को शामिल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी ने पूर्व में भी दिनांक–19.10.2020 को प्रस्तुत वाद में संशोधन किया था जिसमें वादी के द्वारा खाता एवं खेसरा में ही संशोधन किया गया था। पुनः वादी की ओर से वादपत्र में उसी आशय का आवेदन दाखिल किया गया है जो वादी की उपेक्षापूर्ण कृत को दर्शित करता है। साथ ही प्रस्तुत वाद विभाजन से संबंधित है तथा वाद के अंतिम विनिश्चयन के लिए विवादित भूमि का अभिलेख पर आना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन मो0 2000/– रुपये खर्च के साथ स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च का रकम रजारत में जमा करते हुए निर्धारित समय के भीतर अपना संशोधन वादपत्र में दर्ज करें।

वाद दिनांक–**18.11.2024** वास्ते करने संशोधन वादपत्र में एवं बहस हेतु।

मुंसिफ,
शाहपुर पटोरी।